Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी नितिन को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त नितिन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम अक्खेपुर थाना सरधना जिला मेरठ के विरुद्ध थाना कोवताली बागपत पर मु0अ0सं0 818/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नितिन को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 16.07.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 244/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इस्लाम पुत्र नसरुद्दीन निवासी गली नं0 07 मोदी मस्जिद कैला भट्टा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद उम्र 28 बर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 संजीव कुमार थाना खेकडा ।

2-उ0नि0 दीपक कुमार थाना खेकडा ।

3- है0का0 08 मुकेश सिंह थाना खेकडा ।

4- रि0का0 256 तनुज थाना खेकडा ।